फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (FT) मावली, उदयपुर

प्रार्थी :– श्री अमरा **विपक्षी :– राज्य**

किस्म मुकदमा – 88 रा.का.अधि. **पत्रावली संख्या : 17/22**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई

दिनांक : 12.01.2023

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी व राजपेरोकार उपस्थित। तहसीलदार मावली से जवाब प्राप्त शामिल फाईल रहे। अधिवक्ता वादी द्वारा वाद में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा वादी का वाद स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। राजपेरोकार द्वारा उपस्थित होकर जवाब को बहस माना जाकर वादी के वाद को स्वीकार किया जाने पर कोई आपत्ति जाहिर नहीं की। उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। वादी द्वारा राजस्व रेकार्ड में वादी के पिता का नाम भेरा गलत अंकित होना बताया जिसे दुरूस्त किया जाने का निवेदन किया। राजपैरोकार मावली द्वारा जवाब प्रस्तुत कर नाम गलत अंकित होने से उसे संशोधन किया जाने हेतु कोई आपत्ति जाहिर नहीं की है। वादी द्वारा वाद पत्र के समर्थन में जमाबन्दी की नकल, ग्राम पंचायत खेमपुर द्वारा जारी प्रमाण पत्र दिनांक 14.03.2022, ग्राम पंचायत खेमपुर द्वारा जारी सजरा प्रमाण पत्र, आधार कार्ड की प्रति, मतदाता पहचान पत्र की प्रति, विद्युत बिल की प्रति, बैंक पास बुक की प्रति, सहखातेदार हरलाल का शपथ पत्र प्रस्तुत कर नाम संशोधन किया जाने का निवेदन किया। वादी द्वारा प्रस्तुत पहचान पत्र दस्तावेज में वादी के पिता का नाम उंकार अंकित है। राजपेरोकार द्वारा नाम संशोधन में कोई आपत्ति जाहिर नहीं की हैं। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज ग्राम पंचायत खेमपुर के सजरा अनुसार वादी के पिता उंकार एवं भेरा दोनों भाई है। विरासत का नामान्तरकरण पारित करते समय अमरा पिता उंकार के बजाय अमरा पिता भेरा अंकित होना जाहिर आया हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी के पिता का नाम राजस्व रेकार्ड में गलत अंकित होने से सही किया जाना उचित प्रतीत होता हैं। अतः वादी का वाद स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

–: आदेश :–

परिणामस्वरूप वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा खेमपुर पटवार हल्का खेमपुर की आराजी नम्बर 741, 742 किता 2 रकबा 0.7932 हेक्टेयर भूमि में खातेदार अमरा पिता भेरा के बजाय अमरा पिता उंकार संशोधन किया जाने का आदेश दिया जाता हैं। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय खुले ईजलास लिखा जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Beenu Dewal
Date: 2023.01.23 13:[illegible]
Reason: SelfAttested

(बीनू देवल)
सहायक कलक्टर
(FT) मावली

मूल वाद में डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर (FT) मावली, जिला–उदयपुर
पीठासीन अधिकारी : श्रीमती बीनू देवल, R.A.S.
मुकदमा नम्बर : 17/22 (वाद) GCMS No. : 2022/31

उनवान

1. श्री अमरा पिता उंकार मेघवाल निवासी खेमपुर तह. मावली।

..................वादी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सा. मावली तह. मावली।
2. पटवारी, पटवार हल्का खेमपुर तह. मावली।

.............प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह मुकद्धमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु श्रीमती बीनू देवल, R.A.S. मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :–

वाद वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा खेमपुर पटवार हल्का खेमपुर की आराजी नम्बर 741, 742 किता 2 रकबा 0.7932 हेक्टेयर भूमि में खातेदार अमरा पिता भेरा के बजाय अमरा पिता उंकार संशोधन किया जाने का आदेश दिया जाता हैं।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 12.01.2023 को जारी की गई।

(बीनू देवल)
सहायक कलक्टर
(FT) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Beenu Dewal
Date: 2023.01.23 13:09:52 IST
Reason: SelfAttested